सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाडमेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संः—2024 / 116 — दर्ज तिथिः—31.05.2024

1. तोगसिंह पुत्र भूपसिंह
   जाति राजपूत निवासी केरलीनाडी बूठ जैतमाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

— प्रार्थीगण

बनाम

1. सुजानसिंह पुत्र भुपसिंह
2. मोडसिंह पुत्र मानसिंह
3. वैरिसालसिंह पुत्र मानसिंह
   जाति राजपूत निवासी केरलीनाडी बुठ जैतमाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.......................असल अप्रार्थीगण

4. तहसीलदार धोरीमन्ना।

.... तकमीली अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगण— श्री वेदनृप राणजीओत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111,128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—11.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का [illegible] से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी[illegible] का [illegible] आराजी खसरा संख्या 373 / 6. 8230 है0 वांके ग्राम केरली [illegible] पटवार हल्का [illegible]तमाल तहसील धोरीमन्ना जिला वाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी [illegible] है एवं आराजी पर प्रार्थीगण का[illegible] बिना किसी [illegible] वो रूकावट के काश्त [illegible] चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:23 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बावत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार धोरीमन्नाके आदेश दिनांक 29.12.2023 के तहत हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान कार्यवाही शुरू की गई परन्तु पड़ौसी खसरों के खातेदार/अप्रार्थीगण द्वारा पैमाईश की कार्यवाही पूर्ण नहीं करने दी तथा झगड़े पर उतारू होकर प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगणअपनी आराजी खसरे की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगणका प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण मय वकुलाय असालतन न्यायालय हाजा उपस्थित हुए।

3. न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की पैमाईशकी जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के आराजी की भी नेखमबंदी आदेश करने का निवेदन किया।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:23 IST
Reason: SelfAttested

तोगसिंह बनाम सुजानसिंह
2024 / 116
निर्णय दिनांकः–11-03-2025

***Provided that** applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी अंतिम चौसला आधार संवत् 2073–76 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई वाकै ग्राम आदर्श लूखू में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाकेग्राम आदर्श लूखू के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजीप्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 28.03.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करवाई लेकिन विप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने पर कार्यवाही पूर्ण नहीं करवाई जा सकी।तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 373 / 6.8230 है0 वांके ग्राम केरली नाडी पटवार हल्का बूठ जैतमाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेरपर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

(SDO) धोरीमन्ना · सहायक कलक्टर · जिला-बाड़मेर

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 11.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

11/3/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:23 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना